25.2.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रेस्पाडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्यूटेशन अपील मे नाम दुरूस्ती की इस्तदुआ चाही गयी, जो भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की विषयवस्तु है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए। अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि के प्रावधानों के विपरित है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष मे है। उक्त अपीलाधीन आदेश की आड मे रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट को बेदखल करने पर उतारू है अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन आदेश अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन अपीलान्ट के हक मे प्रतीत होता है। अतः उपखण्ड अधिकारी,सोजत द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 01/2017 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.9.2018 की पालना व प्रभाव, राजस्व रेकर्ड की अग्रिम आदेश यथास्थिति बनाये रखी जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर मूल पत्रावली के संलग्न हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर